



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन गौतमबुद्धनगर ज़ोन, गौतमबुद्धनगर

संख्या :- 26VSNO07033971

वि०सु०नि०/ लिफ्ट/निरीक्षण/2025-26

दिनांक: 08/10/2025

KENDRIYA VIHAR II AOA

COMMUNITY CENTRE-1, PLOT NO. 3, SECTOR-82, NEAR BHANGEL, NOIDA, GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH

विषय :- आपके परिसर में अधिष्ठापित लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारंभिक निरीक्षण / परीक्षण ।

प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र संख्या VS2554643 दिनांक 07/10/2025

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित लिफ्ट से सम्बन्धित विद्युतीय अधिष्ठापन, जिसका विवरण नीचे अंकित है, का निरीक्षण / परीक्षण द्वारा दिनांक - 08/10/2025 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत् सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाय) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करते हुए पाया गया । अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुए पुनः निरीक्षण कराया जाये ।

क्र० सं०	LIFT Capacity(P)	LIFT Capacity(KG)	Motor Capacity(KW)	मोटर सीरियल न०	मेक
1	8	544	5	E008458-22014(B-108)	ECE Industries Ltd (Elevator Division)
2	8	544	5	E008458-22015 (B-99)	ECE Industries Ltd (Elevator Division)
3	8	544	5	E008458-22016(B-111)	ECE Industries Ltd (Elevator Division)
4	8	544	5	E008458-22017(B-116)	ECE Industries Ltd (Elevator Division)
5	8	544	5	E008458-22019(B-96)	ECE Industries Ltd (Elevator Division)
6	8	544	5	E008458-22020(B-103)	ECE Industries Ltd (Elevator Division)

नोट -1. कृपया उपरोक्त लिफ्टों का कार्य / अनुरक्षण कार्य ओरिजिनल मैनुफैक्चरर से ही कराये । लिफ्टों का समय - समय पर अनुरक्षण तथा ठीक प्रकार से परिचालन एवं यांत्रिक रूप से ठीक रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी । उक्त अनापत्ति मात्र विद्युत् सुरक्षा से सम्बन्धित है । यांत्रिक सक्षमता की जिम्मेदारी मैनुफैक्चरर तथा उपभोक्ता की होगी ।

2. उक्त पैसेंजर लिफ्ट्स के पिट की वाटर प्रूफिंग समुचित ढंग से कराई जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार से करंट लीकेज की समस्या उत्पन्न न हो ।

भवदीय

(RAMESH KUMAR)

सहायक निदेशक

SATISFACTORY

संख्या - 26VSNOC07033971 वि०सु०नि० / ला० जोन /लिफ्ट /निरीक्षण/ 2025-26 तददिनांक ।

संख्या: वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, ,तददिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपनिदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प्र० शासन रीजन।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड. गौतम बुद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट www.vidvutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें ।



भवदीय



(RAMESH KUMAR)

सहायक निदेशक

नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.